राजस्थान विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 302004
दूरभाष :– 0141–2711070, संस्थापन–द्वितीय :– 2256702
E-mail : drestablishment2@gmail.com

क्रमांक : संस्था.–2/ 2024/ 5529– दिनांक : 8/10/2024

1. समस्त विभागाध्यक्ष, शैक्षणिक/अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स/ केन्द्रीय पुस्तकालय/ पोद्दार प्रबन्ध संस्थान।
4. मुख्य कुलानुशासक/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय, रा.वि.वि., जयपुर।
5. मुख्य आवासाधिकारी (छात्र/ छात्रा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. वित्त नियन्त्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. विश्वविद्यालय अभियन्ता/प्रभारी उद्यान/प्रभारी अतिथि गृह, रा.वि.वि., जयपुर।
8. परीक्षा नियन्त्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. समस्त उप कुलसचिव/ सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।

परिपत्र

विषय : एजेन्सी से उपलब्ध व्यक्तियों को किसी प्रकार का प्रमाण–पत्र अथवा आदेश जारी नहीं करने के संबंध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय में अनेक विभागों/ईकाइयों में संबंधित विभागाध्यक्षों/ईकाई प्रभारियों के द्वारा एजेन्सी से उपलब्ध व्यक्तियों को उनके नाम से या अन्यथा प्रमाण–पत्र, कार्यानुभव प्रमाण–पत्र, प्रशन्सा–पत्र व कार्य आवंटन से संबंधित आदेश/पत्रादि जारी कर दिए जाते है। इन प्रमाण–पत्रों का संबंधित व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय के विरूद्व न्यायालय में वाद दायर करने में इस्तेमाल कर लिया जाता है अथवा अन्यथा दुरूपयोग किया जाता है, जिससे प्रकरणों में एवं विश्वविद्यालय को किसी प्रकार की क्षति होने एवं दूरगामी प्रतिकूल परिणाम पड़ने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। ज्ञातव्य रहे कि एजेन्सी से उपलब्ध व्यक्ति केवल एजेन्सी का कर्मचारी होता है एवं विश्वविद्यालय के द्वारा उस व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई प्रमाण–पत्र, कार्यानुभव प्रमाण–पत्र व कार्य आवंटन से संबंधित कोई आदेश आदि जारी किया जाना नियमों के सर्वथा प्रतिकूल है। पूर्व में ये इस संदर्भ में परिपत्र क्रमांक 9994–10093, दिनांक 27.09.2017 को जारी किया गया था, किन्तु अनेक ईकाइयों प्रभारियों द्वारा इसकी पालना नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप कई प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत आपको पुनः यह अवगत कराया जाता है कि एजेन्सी से उपलब्ध व्यक्तियों को यदि किसी ईकाई प्रभारी/विभागाध्यक्ष के द्वारा किसी प्रकार का प्रशंसा, कार्यानुभव प्रमाण–पत्र, कार्य आवंटन से संबंधित कोई आदेश अथवा अन्य कोई पत्रादि जारी किया जाता है तो फलतः इससे पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए संबंधित इकाई प्रभारी/विभागाध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी मानते हुए इससे कारित होने वाली क्षति की वसूली ऐसा पत्र/आदेश जारी करने वाले ईकाई प्रभारी/विभागाध्यक्ष से की जाएगी।

(राजकुमार कस्वा)
कुलसचिव

क्रमांक : संस्था.–2/ 2024/5609–5610 दिनांक : 8/10/2024

प्रतिलिपि वरिष्ठ निजी सहायक–कुलपति/ कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(सुरेश चन्द्र शर्मा)
सहायक कुलसचिव (संस्था.–2)